प्र.सं. ...................../ दावा / प्र.पत्र / ......................

| | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| ...126 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज पीठा... उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। ... कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ... कार्यवाही हेतु दिनांक .1.4.26. को पेश हो<br>ह० | P.Kr<br>पारस कुमार<br>16/3/26 |
| 1/4/26 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज पीठासीन उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13.4.26 को पेश हो<br>ह० | |
| 13/4/26 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज पीठा... उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23.4.26 को पेश हो<br>ह० | |
| 23/4/26 | पत्रा० उप०। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 25/4/26 को पेश हो।<br>ह० | |
| 25/4/26 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज पीठा... उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12.5.26 को पेश हो<br>ह० | |
| 12/5/26 | पत्रा० उप० प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तामील शुदा हेतु TDR तालेदा को निर्देशित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली ~~वास्ते~~ अन्फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।<br>ह० | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

| मिसल | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 268/प्रा0पत्र/2024 | 19.12.2024 | 12.05.2026 |

सरपंच ग्राम पंचायत गामछ पचायत समिति तालेडा, तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
2. सचिव महोदय, कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी :-

## :: निर्णय ::

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0 एक्ट)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0 एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भुमि खसरा सख्या 1873/1675 रकबा 3.2375 हैक्टेयर गै.मु. आबादी वाके ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रार्थी स. 1 ग्राम पंचायत गामछ को आवादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी। लेकिन उक्त भूमि राजस्व नक्शे में आवंटन के समय प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही की गई। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.11.2024 को तहसीलदार तालेड़ा को राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने बाबत स्वयं के लेटर पेड पर प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर तहसीलदार तालेडा के द्वारा जांच करवाई गई। जिस पर दिनांक 20.11.2024 को हल्का पटवारी के द्वारा तहसीलदार तालेडा को जांच रिपोर्ट पेश की गई। जिसमे हल्का पटवारी के द्वारा वर्तमान नक्शे को त्रुटिपूर्ण तरमीम होना मानते हुये नवीन प्रस्तावित नक्शा भी संलग्न किया जिसके अनुसार खसरा स. 1873/1675 को राजस्व नक्शे में तरमीम करना था। दिनांक 22.11.2024 को पत्र क्रमांक भू.अभिलेख/24/4576 से तहसीलदार तालेडा के द्वारा श्रीमान् को पत्र प्रेषित करते हुये लिखा कि खसरा सं. 1873/1675 जर्ये आवंटन आबादी विस्तार हेतु नामान्तरण सं. 2018 दिनाक 14.05.2022 से ग्राम पंचायत गामछ के नाम दर्ज हुई थी। उक्त आंवटित रकबे की तरमीम आंवटन पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नही होकर त्रुटिपूर्ण हो गई है। अभी तक तहसीलदार तालेडा के द्वारा राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी नक्शे को सही नजरी नक्शा व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम नही किया जिससे ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का विकास कार्य करने व उपयोग करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से खसरा सं. 1873/1675 के राजस्व नक्शे को सही नजरी नक्शा व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार तालेडा की अनुशंषा अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर इन्द्राज दुरस्त करवाये। प्रार्थी ने दिनांक 19.11.2024 को तहसीलदार तालेड़ा से सही नजरी नक्शा व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थी को नेक सलाह दी गई कि आप उपखण्ड न्यायालय तालेड़ा मे इस बाबत् राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निर्णय उपरांत ही हम राजस्व नक्शे में सही नजरी नक्शा व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में इन्द्राज दुरस्त करेंगे इसलिए प्रार्थी श्रीमान के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है। गलत नक्शा तरमीम होने से प्रार्थी को जिससे ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का विकास कार्य करने व उपयोग करने मे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है राजस्व नक्शा गलत तरमीम होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा संख्या 1873/1675 रकबा 3.2375 हैक्टेयर गै0मु0 आबादी वाके ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान स्थित है के राजस्व नक्शे को पटवारी रिपोर्ट में संलग्न नजरी

व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने के लिए ...सीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

...र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार तालेडा द्वारा जांच रिपोर्ट 1819 दिनांक 27.05.2025 प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम गामछ की आबादी भूमि खसरा नं. 1873/1675 रकबा 3.2375 है. की नक्शा दुरूस्ती हेतु गठित टीम द्वारा राजस्व रिकार्ड जिसके तहत आवंटित नजरी नक्शा, ऑनलाईन नक्शा व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ऑनलाईन नक्शे में खसरा नं. 1873/1675 रकबा 3.2375 है0 की आवंटन पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम नहीं होकर, त्रुटिपूर्ण तरमीम हुई है। आवंटित खसरा नं. 1873/1675 रकबा 3.2375 है. के प्रस्तावित नक्शा शुद्धि अनुसार मौके पर मकान, दुकाने, बाड़े व शेष भूमि खाली पड़ी है तथा प्रस्तावित नक्शानुसार मौके पर खसरा न. 1873/1675 मेगा हाईवे (कोटा- लालसोट) से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी है। नार्दन बाईपास से लगवां है। खसरा न0 1922/1415 व 1921/1415 नार्दन बाईपास से लगवा है प्रस्तावित तरमीम शुद्धि से उक्त खसरा नम्बरान् के रिकार्ड एवं मौके पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त नवीन प्रस्तावित नक्शा शुद्धि आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा, आवंटन रकबा एवं मौके पर उपलब्ध भूमि के आधार पर तैयार की गई है । जिसकी नवीनतम नक्शा नियमानुसार शुद्धि हेतु प्रस्ताव जॉच रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी कोटा विकास प्राधिकरण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का चरण क्रम-1,2,3,4,5,6 व 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है स्वीकार नहीं है। शेष तथ्य विशेष आपत्ति में अंकित है। प्रार्थना पत्र का चरण क्रम-8 व 9 कानूनी है। प्रार्थना स्वीकार नहीं है। विशेष आपत्तियां यह कि प्रार्थी द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुऐ नक्शे में तरमीम के नाम पर अप्रार्थी क्रम-2 की भूमि खसरा संख्या-1899/1874 रकबा 4.2362 जो कि विवादित प्रार्थी की भूमि 1873/1675 के लगवां है, से रकबे की पूर्ति करके संशोधन कराने पर आमादा है। जबकि खसरा नम्बर 1899/1874 वर्तमान में अप्रार्थी संख्या-2 कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज है जो कि राज्य सरकार के आदेशानसार कोटा विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हुई है। उक्त भूमि कोटा नोर्दन बायपास से लगवां है जो कि अप्रार्थी संख्या-2 की बेशकीमती भूमि है एवं जिस पर प्रतिपक्षी संख्या-2 कोटा विकास प्राधिकरण की योजना प्रस्तावित है। उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी अवस्था में यदि प्रार्थी के नक्शे में कोई तरमीम हो तो भी अप्रार्थी क्रम-2 की भूमि से किसी भी अवस्था में किये जाने योग्य नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी क्रम-2 सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी भुमि खसरा सख्या 1873/1675 रकबा 3.2375 हैक्टेयर गै. मु. आबादी वाके ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रार्थी स. 1 ग्राम पंचायत गामछ को आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी। लेकिन उक्त भूमि राजस्व नक्शे में आवंटन के समय प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही की गई। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19.11.2024 को तहसीलदार तालेडा को राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने बाबत स्वयं के लेटर पेड पर प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर तहसीलदार तालेडा के द्वारा जांच करवाई गई। जिस पर दिनांक 20.11.2024 को हल्का पटवारी के द्वारा तहसीलदार तालेडा को जांच रिपोर्ट पेश की गई। जिसमे हल्का पटवारी के द्वारा वर्तमान नक्शे को त्रुटिपूर्ण तरमीम होना मानते हुये नवीन प्रस्तावित नक्शा भी संलग्न किया जिसके अनुसार खसरा स. 1873/1675 को राजस्व नक्शे में तरमीम करना था। उक्त आंवटित रकबे की तरमीम आंवटन पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नही होकर त्रुटिपूर्ण हो गई है। अभी तक तहसीलदार तालेडा के द्वारा राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी नक्शे को सही नजरी नक्शा व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम नही की। राजस्व नक्शा गलत तरमीम होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा संख्या 1873/1675 रकबा 3.2375 हैक्टेयर गै0मु0 आबादी वाके ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान स्थित है के राजस्व नक्शे को पटवारी रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा व आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने के लिए तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ऑनलाईन नक्शे में खसरा नं. 1873/1675 रकबा 3.2375 है0 की आवंटन पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम नहीं होकर, त्रुटिपूर्ण तरमीम हुई है। आवंटित खसरा नं. 1873/1675 रकबा 3.2375 है. के प्रस्तावित नक्शा शुद्धि अनुसार मौके पर मकान, दुकाने, बाड़े व शेष भूमि खाली पड़ी है तथा प्रस्तावित नक्शानुसार मौके पर खसरा न. 1873/1675 मेगा हाईवे (कोटा- लालसोट) से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी है। नार्दन बाईपास से लगवां है। खसरा न0 1922/1415 व 1921/1415 नार्दन बाईपास से लगवा है प्रस्तावित तरमीम शुद्धि से उक्त खसरा नम्बरान् के रिकार्ड एवं मौके पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त नवीन प्रस्तावित नक्शा शुद्धि आवंटन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा, आंवटन रकबा एवं मौके पर उपलब्ध भूमि के आधार पर तैयार किया गया है।

अप्रार्थी सं0 2 की ओर से दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुऐ नक्शे में तरमीम के नाम पर अप्रार्थी क्रम-2 की भूमि खसरा संख्या-1899/1874 रकबा 4.2362 जो कि विवादित प्रार्थी की भूमि 1873/1675 के लगवां है, से रकबे की पूर्ति करके संशोधन कराने पर आमादा है। जबकि खसरा नम्बर 1899/1874 वर्तमान में अप्रार्थी संख्या-2 कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज है जो कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कोटा विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हुई है। उक्त भूमि कोटा नोर्दन बायपास से लगवां है जो कि अप्रार्थी संख्या-2 की बेशकीमती भूमि है एवं जिस पर प्रतिपक्षी संख्या-2 कोटा विकास प्राधिकरण की योजना प्रस्तावित है। उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी अवस्था में यदि प्रार्थी के नक्शे में कोई तरमीम हो तो भी अप्रार्थी क्रम-2 की भूमि से किसी भी अवस्था में किये जाने योग्य नहीं है । प्रार्थी का प्रार्यना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो/दस्तावेज का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी ख0सं0 1675/572 रकबा 14.8034 हैक्टे0 में से 3.2375 हैक्टे0 भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के आदेश संख्या 261 दिनांक 28.02.2022 से ग्राम पंचायत गामछ को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी जिसका नामान्तकरण सं0 2018 दिनांक 14.05.2022 को दर्ज किया गया था उक्त नामान्तकरण दर्ज करने के दौरान आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम नही की जाकर तरमीम त्रुटीपूर्ण की गई जो कि पत्रावली पर उपलब्ध ऑनलाईन नक्शा दिनांक 20.11.2024 से प्रतीत होता है जिसे तहसीलदार तालेडा ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि आबादी विस्तार हेतु प्रेषित प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम नही की जाकर त्रुटीपूर्ण तरमीम कर दी गई थी। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दस्तावेजी आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के आदेश संख्या 261 दिनांक 28.02.2022 से ग्राम पंचायत गामछ को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी खसरा सं0 1675/572 रकबा 14.8034 हैक्टे0 में से 3.2375 हैक्टे0 वाके ग्राम गामछ का आवंटन प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रस्तावित नक्शा एवं तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1819 दिनांक 27.5.2025 में प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। उक्त भूमि नॉर्दनबाई पास के लगवा होने से इण्डियन रोड कॉंग्रेस के नियमो की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा